न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 48 / 2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी, पंचायत समिति रियांबडी, जिला नागौर		1 राजूदेवी पत्नी चुनीलाल जाति माली निवासी रियांबडी। 2 ग्राम पंचायत रियांबडी पंचायत समिति रियांबडी तहसील रियांबडी।

उपस्थिति–

1. श्री ओमप्रकाश पूनिया, राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 09-09-2022

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत विकास अधिकारी पंचायत समिति रियांबडी द्वारा पत्रावली सं. 10/2014–15 के द्वारा पट्टा सं. 3010 दिनांक 20.08.14 को अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के हक में पट्टा जारी किया गया, उस पट्टे को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 07.04.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन, जिला परिषद् नागौर द्वारा अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर को लिखे गये पत्र दिनांक 20.01.15 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत रियांबडी के आबादी भूमि विक्रय विलेख/पक्के मकानों विनियमितिकरण/भूमि आवंटन विवरण वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की फोटोप्रति, पट्टा सं. 3010 की फोटोप्रति, पत्रावली सं. 10/2014–15 की फोटोप्रति, पंचायत समिति रियांबडी के पत्रांक 4469 दिनांक 05.10.15 की फोटोप्रति, जिला परिषद् नागौर के पत्रांक 3904 दिनांक 23.12.15 की फोटोप्रति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर के अ.शा. पत्रांक 3833 दिनांक 22.07.15 व दिनांक 3849 दिनांक 07.08.15 तथा लोकायुक्त सचिवालय, राज. के पत्रांक 26424 दिनांक 5.2.15 की फोटोप्रति पेश की है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड मंगवाया गया। प्रार्थी की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, तथा अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहे है।

2– वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)– अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत रियांबडी ने अप्रार्थी सं. 1 के नाम से मिसल सं. 10/2014–15 के जरिये पट्टा सं. 3010 दिनांक 20.08.2014 को जारी किया गया है। जो नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत जारी किया गया था। जो गलत जारी किया गया था। ग्राम पंचायत रियांबडी को केवल ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार था। मगर ग्राम पंचायत ने जो अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया था। जो अप्रार्थी ग्राम पंचायत रियांबडी की आबादी भूमि नहीं है व ग्राम पंचायत ने जो पट्टा जारी किया है। वह जमीन राजस्व भूमि है व राजस्व भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। इसलिये ग्राम पंचायत रियांबडी के अप्रार्थी के विरूद्ध नियमों के विरूद्ध पट्टा जारी किया है।

2(2)– ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को पट्टा सं. 3010 रू. 200/– में जारी किया गया है व एक सौ रू. से अधिक राशि का पट्टा जारी किया जाता है। जिसका पंजीयन अनिवार्य है। मगर पट्टा सं. 3010 को ग्राम पंचायत ने पंजीयन नहीं करवाया है। इसलिये पट्टा अवैध है।

2(3)– ग्राम पंचायत कुल 53 पट्टे नियम विरूद्ध जारी किये जिसकी एक शिकायत हुक्माराम सैनी व अन्यों ने श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीमान् मुख्य कार्यकारी जिला परिषद् नागौर के लोकायुक्त सचिवालय जयपुर के समक्ष पेश की जिसकी जांच सक्षम अधिकारी से करवाई गई व राजस्व विभाग से भी अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया उस जमीन का भौतिक सत्यापन करवाया तो राजस्व विभाग ने पट्टा सं. 3010 की जमीन राजस्व भूमि होना वताया था। राजस्व भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत से जारी किया है। इसलिये ग्राम पंचायत रियांबडी के द्वारा जारी पट्टा सं. 3010 अवैध रूप से ग्राम पंचायत के अधिकारों के विपरीत जारी किया है। इसलिये ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा सं. 3010 अवैध व शून्य है।

2(4)– ग्राम पंचायत ने अपने अधिकारों के विरूद्व जाकर पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत पहले राजस्व भूमि को आवादी में परिवर्तन करवाकर फिर पट्टा जारी कर सकते थे। मगर राजस्व भूमि को बिना आबादी में परिवर्तन कराये ही राजस्व भूमि का पट्टा जारी कर दिया था। इसलिये पट्टा सं. 3010 काबिल निरस्त के है।

2(5)– ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया तब न तो मिसल कायम की व न ही आपत्ति नोटिस जारी किये व न ही पंचायत ने मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया था। केवल पट्टा के फॉर्म के कॉलम भरकर हस्ताक्षर करके दे दिया था। जो कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना ही पट्टा जारी कर दिया गया है।

अपर कलक्टर, नागौर

3– बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत रिंयाबडी ने अप्रार्थी सं. 1 के नाम से पट्टा सं. 3010 नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन जिला परिषद् नागौर की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.01.15 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों का भौतिक सत्यापन पटवारी हल्का से करवाया गया। जिसके अनुसार प्रश्नगत पट्टा कृषि भूमि पर जारी करना पाया गया है। जब आराजी भूमि राजस्व कृषि भूमि है तथा ग्राम पंचायत को केवल ग्राम पंचायत में निहित आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रिंयाबडी द्वारा अप्रार्थी सं.1 के हक में जारी पट्टा संख्या 3010 दिनांक 20.08.14 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

5– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर